न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 813/2020 अपील जी.सी.एम.संख्या 2020/00635

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. तंवर सिह दत्तक पुत्र दलेल सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नं. 7 प्रेम नगर पीपल्यावाली ढाणी झोटवाडा जयपुर।
2. किरण कंवर पत्नी स्व0 किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर। **(नाम हजफ)**
3. तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. कृष्ण कुमार कटारिया पुत्र श्री अम्बालाल कटारिया जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 52 रघुनाथ विहार–ए बिशनावाला तहसील व जिला जयपुर।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर आदेश दिनांक 02.09.1998 मिसल संख्या 109/98 के विरूद्ध

उपस्थित–

1. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री विवेक शर्मा वकील रेस्पो0 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.08.2024

1. प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि लालसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व दलेल सिंह हुए, भंवरसिंह के एक पुत्र किशोर सिंह हुआ, जिसके दो पुत्र तंवरसिंह व बलवीर सिंह हुए। दलेल सिंह ने तंवरसिंह को गोद ले लिया एवं दलेल सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 52 तंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह के नाम स्वीकृत हो गया तथा किशोर सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 13 बलवीर सिंह व किरण कंवर के नाम स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 02.09.1998 को बलवीर सिंह के साथ तंवर सिंह का नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसकी अपील बलवीर सिंह द्वारा किये जाने पर अपील संख्या 69/2003 उनवानी बलवीर सिंह बनाम तंवर सिंह व अन्य में न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 02.09.1998 को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 09.01.2006 को दिये गये। तत्पश्चात् अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहॉ प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम धारा–5 मियाद अधिनियम पर आदेश पारित करते हुये न्यायिक निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी पालना में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है।

2. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.1998 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.1998 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के पिता किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 339 रकबा 4.35 हैक्टेयर, खसर नम्बर 341 रकबा 4.29 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 8.64 हैक्टेयर खसरा नम्बर 303 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 5.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/502 रकबा 5.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/519 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 3.80 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 26.57 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। लालसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व दलेल सिंह हुए, भंवरसिंह के एक पुत्र किशोर सिंह हुआ, जिसके दो पुत्र तंवरसिंह व बलवीर सिंह हुए। दलेल सिंह ने तंवरसिंह को गोद ले लियाथा उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट तंवर सिंह के द्वारा एक जालसाजी करते हुये अपनी प्राकृतिक माता को धोखे में रखकर एवं बलवीर सिंह के नाबालिक होने के उपरान्त भी राजस्व कैम्प में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभत करते हुये दिनांक 2/9/1998 को राजस्व कैम्प में एकआदेश जारी कराते हुये जरिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 30 से अपना भी नाम किशोर सिंह की विरासत में हिस्सा 1/3 में अंकित करवा लिया। जबकि तंवर सिंह के नाम दलेल सिंह की विरासत पूर्व में ही दर्ज व अंकित कर दी गई थी। दलेल सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 52 तंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह के नाम स्वीकृत हो गया ऐसे में तंवर सिंह द्वारा एक साथ दो विरासत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत तंवर सिंह ने मिलीभगत कर किशोर सिंह की विरासत में अपना नाम दर्ज कराया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर निर्णय दिनांक 02.09.1998 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट तंवर सिंह के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष किशोर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 02.09.1998 बलवीर सिंह व किरण कंवर की मजमेआम में सहमति के आधार पर ही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयद्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अनेकों न्यायिक नजीरों को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि लालसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व दलेल सिंह हुए, भंवरसिंह के एक पुत्र किशोर सिंह हुआ, जिसके दो पुत्र तंवरसिंह व बलवीर सिंह हुए। दलेल सिंह ने तंवरसिंह को गोद ले लिया एवं दलेल सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 52 तंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह के नाम स्वीकृत हो गया तथा किशोर सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 13 बलवीर सिंह व किरण कंवर के नाम स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 02.09.1998 को बलवीर सिंह के साथ तंवर सिंह का नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये। अतः प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि दलेल सिंह ने तंवर सिंह को गोद लिया है एवं दलेल सिंह की विरासतनामा0 संख्या 52 में तंवरसिंह पि0 दलेलसिंह का अंकन है एवं इसी आधार पर तंवर सिंह को दलेल सिंह की आराजी प्राप्त हुई है। अतः उसे अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा मृतक खातेदार किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की विरासतगोद गये पुत्र तंवर सिंह को दिया जाना उचित एंवं विधिसम्मत नहीं है। विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान् के नाम ही खोला जाना चाहिए था। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998 निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 निरस्त किया जाता है

(डॉ. आरूषी मलिक)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर।